FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

उदय सिंह बनाम केसरी देवी वगै0

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 622 सन् 2023 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री सुरजभान पुनिया** एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उददेशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.71 हैक्ट. अवस्थित ग्राम बरसिंहवास पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी /प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन / रद्द कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.07.2023 को पेश हो।	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/23 को पेश हो।

20/9/23

वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं. 6 व 7 की तामील समक्ष कब्जे के होना पायी जाती है बावजूद तामील अनु०। अत: एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है शेष अप्रार्थीगण की तामील रिपोर्ट अप्राप्त। इन्तजार तामील रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 9/11/23 को पेश हो।

9/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/1/24 को पेश हो।

22/1/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/3/24 को पेश हो।

6/3/24 पत्रावली प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा किये जाने का पेश होने पर तलब होकर पेश हुयी। प्रार्थीगण व वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो गया है अत: प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आगे नहीं चलाना चाहते है प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विड्रा की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शे में दर्ज होकर दफ्तर दाखिल हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.07.16 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner